Email/निबंधित

C.N.-257760

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

आदेश

पटना, दिनांकः– 9.2.26

आ0सं0– VI/स्था0 (अरा0) वि0नि0–22/2023 861 /मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के क्षेत्रीय निबंधन कार्यालय में कार्यरत निम्नलिखित निम्नवर्गीय लिपिक की सेवा उनके नाम के सम्मुख कॉलम–7 में अंकित तिथि से संपुष्ट की जाती हैः–

क्र0 सं0	नाम/ पदनाम/ पदस्थापन	जन्म तिथि/ सेवानिवृति की तिथि	वरीयता क्र0 (मूल कोटि)	नियुक्ति की तिथि	विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री राजु कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज।	10.08.1995 31.08.2055	786	25.07.2022	25.01.2025	25.01.2025
02	श्री राजीव कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, मधेपुरा।	15.04.1989 30.04.2049	739	25.07.2022	18.10.2025	18.10.2025
03	श्री अजय कुमार रजक, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, लखीसराय।	03.04.1991 30.04.2051	801	25.07.2022	28.04.2025	28.04.2025
04	श्री अमरेन्द्र कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सीतामढ़ी।	02.01.1992 31.01.2052	563	31.10.2014	18.10.2025	18.10.2025
05	श्री राजीव रंजन कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सीतामढ़ी।	12.01.1993 31.01.2053	564	31.10.2014	26.11.2025	26.11.2025
06	श्री रौशन राय, निम्नवर्गीय लिपिक, सहायक निबंधन महानिरीक्ष का कार्यालय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा।	05.11.1992 30.11.2052	642	26.07.2022	07.07.2025	07.07.2025

07	श्री प्रियांशु रंजन, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, पटना।	16.02.1996 29.02.2056	763	26.07.2022	31.05.2025	31.05.2025
08	श्री गौतम कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, पटना।	05.05.1995 31.05.2055	708	29.07.2022	28.06.2025	28.06.2025

2. सेवा संपुष्टि का प्रभाव आपसी वरीयता पर नही होगा।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ संजय कुमार)
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– VI/स्था0 (अरा0) वि0नि0–22/2023.861 पटना, दिनांकः– 9.2.26

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, पटना, लखीसराय, किशनगंज, सीतामढ़ी एवं मधेपुरा/सभी संबंधित सहायक निबंधन महानिरीक्षक/जिला अवर निबंधक, पटना, लखीसराय, किशनगंज, सीतामढ़ी एवं मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि इसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से HRMS के e-service book के साथ ही साथ सेवा पुस्त में अंकित करते हुए विभाग को सूचित किया जाय/सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

2. विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।